अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्री पीरचंद बनाम श्री लादु (जोरा)

मुकदमा प्रा.-पत्र 111-128 नं० 108 सन् 2021

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...3.21	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 7.9.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
7.9.21	उभय पक्ष उपस्थित [illegible] राजकीय कार्य से बाहर [illegible] व्यस्त है। अतः पत्रावली 28.9.21 [illegible] हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
11/10/21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 केम्प ग्राम [illegible] मे पेश हुई। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए [illegible] तहसीलदार माण्डल पटवार हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल [illegible] किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] लिखा जाकर शामिल किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible] शुमार होकर पत्रावली [illegible] किया गया। [illegible] नम्बर से कम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:40:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 108/21 प्रा. पत्र

प्रशासन गाँवों के संग...

1- श्री घेवरलाल S/o धन्नामाली निवासी - मालीखेड़ा तहसील - माण्डल --प्रार्थी

बनाम

1- श्री लादु S/o मांगु माली निवासी - मालीखेड़ा तहसील - माण्डल (वगैरा) --विपक्षीगण (प्रशासन गाँवों के संग अभियान...)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 12.11.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर ...वेदन किया कि ग्राम......मालीखेड़ा......पटवार हल्का......स्वरूपपुरा......तहसील मांडल/में उसके ...ते /संयुक्त खातों की आराजी नं......331/1, 332/1......कुल किता ......02...... ...कबा......0.2023......हेक्टेयर......——......स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी ...दायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते ...युक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक......3.3.21......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को ...लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का ...कारी है ।वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा ...है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है ।अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक ...न्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......मालीखेड़ा...... ...र हल्का......स्वरूपपुरा......तहसील मांडल में स्थित आराजी नं......331/1, 332/1...... ......कुल किता......02......रकबा......0.2023......हेक्टेयर......——... ...के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । ...गढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक......मौजा......को ......500/-...... ...कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । ... मौके पर जमा करावें । ...नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे ... को बनाये रखते हुए मुस्तकील ...को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर ... नहीं की जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:40:17 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

...पि:- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की ...पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान